कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखंड, राँची।

पत्रांक 668 / दिनांक :- 12 जुलाई,2001.

प्रेषक,

श्री मती राजबाला वर्मा,
निबंधक,
सहयोग समितियाँ,
झारखंड, रांची।

सेवा में,

सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखंड।
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, झारखंड।
सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखंड।

विषय :- झारखंड स्वावलम्बी अधिनियम 1996 के तहत निबंधन चेक स्लीप प्रेषण के संबंध में।

महाशय,

झारखंड स्वावलम्बी अधिनियम 1996 के तहत स्वावलम्बी सहकारी समितियों के निबंधन के लिए इस पत्र के साथ चेक स्लीप एवं जाँच प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। आप सुनिश्चित करेंगे कि निबंधन चेक स्लीप की सभी अहर्ताएं पूर्ण होने के पश्चात् ही किया जाय एवं समिति के निबंधन हेतु जाँच प्रपत्र संलग्न किया जाय।

अनुलग्नक :-

(1) चेक स्लीप
(2) जाँच प्रपत्र

विश्वासभाजन,

निबंधन,
सहयोग समितियाँ
झारखंड, रांची।

जॉच -- प्रपत्र

1. प्रस्तावित समिति का नाम --

2. प्रस्तावित समिति का कार्यक्षेत्र --

3. प्रस्तावित समिति का पूर्व में अनौपचारिक ढॉचा एवं किये गय कार्य --

4. प्रस्तावित समिति के आवेदकों की संख्या -- आवेदकों का पूर्ण विवरणी स्थायी पतों के साथ।

5. प्रस्तावित समिति का उद्देश्य -

6. प्रस्तावित समिति के कार्य के लिए आवश्यक पूंजी -

7. प्रस्तावित समिति के लिए पूंजी की व्यवस्था /सदस्यों की हिस्सा पूंजी -

8. जॉच के समय उपस्थित आवेदकों की संख्या -

9. प्रस्तावित समिति की कार्य योजना - -

10. कार्य योजना को करने की क्षमता/ वर्तमान संरचना या अन्य एसेट की उपलब्धता -

मन्तव्य

Scanned with CamS

(7) निबंधन के समय यह ध्यान रखा जाय कि कोई भी समिति अपने नाम के साथ झारखंड स्टेट, झारखंड राज्य इत्यादि शब्द समूहों अथवा इन जैसे अन्य शब्द समूहों का प्रयोग न करे जिससे की यह भ्रान्ति हो कि समिति सरकार द्वारा प्रायोजित है।

(8) सहायक निबंधक अपने पदस्थापनाधिकार में प्राथमिक स्तर की समितियों का निबंधन करने हेतु सक्षम होंगे। परन्तु निबंधन के पूर्व क्षेत्रान्तर्गत जिला सहकारिता पदाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

जिला सहकारिता पदाधिकारी अपने पदस्थापनाधिकार में प्राथमिक एवं केन्द्रीय स्तर की ऐसी समितियों का निबंधन करने हेतु सक्षम होंगे, जिनका कार्यक्षेत्र उस जिला के अधीन हो। परन्तु निबंधन के पूर्व में क्षेत्रान्तर्गत संयुक्त निबंधक का अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक ऐसी समितियों का निबंधन करने हेतु सक्षम होंगे जिनका कार्यक्षेत्र एक जिला से अधिक, किन्तु संबंधित प्रमंडल के अतंर्गत हो। परन्तु निबंधन के पूर्व वे निबंधक का अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

एक प्रमण्डल की सीमा से अधिक कार्यक्षेत्र वाली समितियों / राज्य स्तरीय समितियों / परिसंघो / संघों का निबंधन मुख्यालय स्तर पर निबंधक द्वारा किया जाएगा।

(9) स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम 1996 की धारा 5(5) में स्वावलम्बी सहकारी समितियों के निबंधन हेतु 90 दिनों का समय सीमा निर्धारित है। इस पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, ताकि स्वतः निबंधन (Deemed to be registered) की स्थिति उत्पन्न नही हो। समय से पूर्व अस्वीकृति की सूचना कारणों सहित समिति को उपलब्ध कराई जाय। इस संबंध में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पूर्व के निदेशों को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

Scanned with CamS

निबंधन हेतु चेक स्लीप

(1) सामान्यतया एक कार्यक्षेत्र में किसी विशेष प्रकार की एक ही समिति का गठन किया जाय, यदि एक ही कार्यक्षेत्र में एक प्रकार की एकाधिक समिति का गठन अत्यावश्यक हो तो एतदर्थ निबंधक,सहयोग समितियाँ, की अनुमति प्राप्त कर ली जाय।

(2) किसी समिति का गठन करते समय उसके सदस्य संख्या पर ध्यान देना आवश्यक है। कम-से-कम इतने सदस्य अवश्य रखे जायें कि ऐसी समिति की वर्द्धन क्षमता (Viability) सुनिश्चित हो सके। उदारहण के लिए निम्नलिखित कार्यक्षेत्र वाली सहकारी समितियों में निम्न रूप से सदस्यों की संख्या रखी जाय :-

			सदस्य संख्या
1.	राज्य स्तरीय समिति	-	1000
2.	प्रमंडल स्तरीय समिति	-	500
3.	जिला स्तरीय समिति	-	300
4.	अनुमंडल स्तरीय समिति	-	200
5.	प्रखंण्ड स्तरीय समिति	-	100
6.	पंचायत स्तरीय समिति	-	50

(3) राज्य स्तरीय प्राथमिक समिति का गठन नहीं किया जाय।

(4) चूँकि इन समितियों में सरकार की हिस्सापूंजी देने का प्रावधान नहीं है, अतः समितियों को आर्थिक रूप से भी सबल होना चाहिए, ताकि वे वास्तविक रूप में स्वावलम्बी हो सकें। अतः प्रत्येक सदस्य के लिए सदस्यता शुल्क 50.00(पचास) रूपये तथा न्यूनतम एक शेयर का मूल्य 500.00(पाँच सौ रूपये) रखा जाय। यह राशि निबंधन के पूर्व ही प्रस्तावित समिति के नाम से खाता खोलकर स्थानीय केन्द्रीय सहकारिता बैंक में रख लिया जाय।

(5) अधिनियम की धारा 5(1) में प्रावधान है कि एक परिवार से एक ही सदस्य लिये जायेंगें। निबंधन के पूर्व इसकी पूर्ण जाँचकर ली जाय।

(6) विशेष प्रकार की सहकारी समितियों में संबंधित विशेष वर्ग के लोगों (उस कार्य में जूड़े परम्परागत व्यक्तियों) को ही सदस्य बनाया जाय। उदाहरण के लिए बुनकर सहयोग समितियों, मत्स्यजीवी, सहयोग समितियों में उस व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों को ही सदस्य बनाया जाय।

Scanned with CamS